संख्या-02/2023/ए-2-66 /दस-2023-17(4)/75

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक: 19 मई, 2023

विषय: सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन ।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 (1) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) तथा प्रस्तर 2 (2) वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्थायें उन परियोजनाओं पर लागू होगीं जिनका मूल्यांकन (Appraisal) इस शासनादेश को जारी किये जाने की तिथि के उपरान्त किया गया हो।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-02/2023/ए-2-66 (1)/दस-2023-17(4)/75, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
4- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- आयुक्त, ओद्योगिक विकास विभाग /समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

6- प्रमुख सचिव,विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

7- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

9- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

10- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

11- वित्त नियंत्रक/ मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माणविभाग /सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग /ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ग्रामीण जलापूर्ति एवं नमामि गंगे विभाग /नगर विकास विभाग/लघु सिंचाई विभाग /भूगर्भ जल विभाग, उ.प्र.।

12- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

13- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ।

14- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है